न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S
राजस्व वाद संख्या : 76/22 (वाद)
GCMS NO: 2022/142

अन्तगत

1. श्रीमती रतन बाई पत्नी किशनलाल आचार्य जाति ब्राह्मण निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

.........वादी

बनाम

1. श्रीमती नानी बाई पत्नी जगन्नाथ आचार्य जाति ब्राह्मण निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: :निर्णय: :–

दिनांक : 13.05.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया। बंटवाड़ा प्रस्ताव से पाया कि बंटवाड़ा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में बनाया गया है जिस पर पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी से बंटवाड़ा शुल्क 100/– अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजीयात का बंटवाड़ा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	नानी बाई पत्नी जगन्नाथ आचार्य ब्राह्मण सा. खेरोदा खातेदार	4739 4740	0.11 0.04	बारानी द्वि. बीड़ प्रथम	2.86 0.12
	योग	किता 2	0.1500	—	2.98
2.	रतनबाई पत्नी किशनलाल आचार्य ब्राह्मण सा. खेरोदा खातेदार	4741	0.27	बारानी द्वि.	7.02
	योग	किता 1	0.27	—	7.02

अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड में जमा हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:52 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया,R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 75/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/142

अनवान

1. श्रीमती रतन बाई पत्नी किशनलाल आचार्य जाति ब्राहम्मण निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

...........वादी

बनाम

1. श्रीमती नानी बाई पत्नी जगन्नाथ आचार्य जाति ब्राहम्मण निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.05.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	नानी बाई पत्नी जगन्नाथ आचार्य ब्राहम्मण सा. खेरोदा खातेदार	4739 4740	0.11 0.04	चाही द्वि. बीड प्रथम	2.86 0.12
	योग	किता 2	0.1500	–	2.98
2.	रतनबाई पत्नी किशनलाल आचार्य ब्राहम्मण सा. खेरोदा खातेदार	4741	0.27	चाही द्वि.	7.02
	योग	किता 1	0.27	–	7.02

नोट– उक्त अंतिम डिकी का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:52 IST
Reason: SelfAttested